

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा)- 176213

उमाक. विभाग/व्याख्या (1) मन्त्रालय संख्या- 212/2013 • दिनांक २९-७-२०१३

10671-750

## “अधिसूचना”

उमाक. प्रवेश संख्या २. ४८ संख्या EDNTCA(3) 1/2013  
Service Guarantee Act 2011 के सन्दर्भ में The public  
Service Guarantee Act 2011 के अन्तर्गत बोर्ड के विभाग, कार्यालयों के लिए  
निम्नोल्लास का आजम से सम्बन्धित नियांसित की गई है।

### 1. Re-evaluation of Examination paper sheets

बारे विभाग विभालित किसी भी परीक्षा के  
प्रमाणपत्र/संस्करण के लिये प्राप्त अवेदन पत्र सही पाये जाने पर  
बारे विभाग विभालित अनिम सिथि के पश्चात नामग्र 60 दिन की  
समयावधि परीक्षा प्राप्ति प्राप्ति की घोषित करने की नियांसित की गई है।

### 2. Issue of Duplicate Marks Card/Provisional Marks Cards

अनुरोध प्रमाण पत्र, पास, फैल, कम्पाइमेंट का आदि के  
लिये आवेदन अनुरोध प्रमाण पत्र पर सभी औपचारिकतये पुण करके सदा  
पारे जाने पर अनुरोध प्रमाण पत्र/कार्ड जारी करने के लिये अनुरोध  
प्रमाण पत्र जारी में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से लगभग 30 दिन  
की समयावधि नियांसित की गई है।

### 3. Disposal of application for recognition of new Educational Institutional

शिक्षा संस्थानों की मान्यता (Recognition) प्रदान करना  
शिक्षा विभाग के कानूनिक में आता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड  
द्वारा गोपी नियम संस्थानों की संबद्धता (Affiliation) प्रदान करने का  
कानून का नाम है जोकि मानवीय उच्च व्यायालय अग्र CWP No.  
92/2006 titled Divya Jyoti Educational Society Vs HPBOSE  
दिनांक 25.5.2006 के अन्तर्गत नियांसित संबद्धता प्रक्रिया के अनुसार  
लिया गया रहा है जिसका व्यौग निम्न प्रकार में है :-

#### Sr.No. Affiliation Procedure 6

संबद्धता आवेदनों की कार्यालय में भेजने  
वारे नियांसित तिथियों की जानकारी हेतु  
लाल अंग्रेजी तथा लाल हिन्दी के अखबारों  
में उल्का प्रकाशन करवाया जाना।

संबद्धता आवेदनों की कार्यालय में भेजने  
वारे नियांसित तिथियों की जानकारी हेतु  
लाल अंग्रेजी तथा लाल हिन्दी के अखबारों  
में उल्का प्रकाशन करवाया जाना।

#### Affiliation Schedule

fixed  
सितम्बर महीने में (30  
सितम्बर तक)

अक्टूबर महीने में (31  
अक्टूबर तक)

3.	जिन संस्थानों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है उसका निरीक्षण करवाया जाना।	नवम्बर महीने (30 <sup>th</sup> नवम्बर तक)
4.	निरीक्षण के दौरान/सक्रियिंग कमेटी द्वारा पाई गई कमियों वारे संस्थानों को सूचित करना।	दिसम्बर महीने में (15 <sup>th</sup> दिसम्बर तक)
5.	संस्थानों द्वारा, बोर्ड कार्यालय से बताई गई कमियों को दूर किया जाता है।	दिसम्बर महीने में (30 <sup>th</sup> दिसम्बर तक)
6.	संस्थानों को संबद्धता बारे लिये गये निर्णय से कार्यालय द्वारा अवगत करवाया जाता है।	जनवरी महीने में (31 <sup>st</sup> जनवरी तक)

अतः उपरोक्त समय सारणी के वृष्टिगत निजी शिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिये बोर्ड द्वारा अन्तिम तिथि से 90 दिन निर्धारित की है।

#### 4. Issue of Migration certificates

नाइग्रेशन प्रमाण पत्र हेतु नियोगित आवेदन पत्र सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र अनुलिपि प्रमाण पत्र शाखा में प्राप्त होने की तिथि से दस दिन की समावधि निर्धारित की गई है।

*Rashmi*

सचिव

पृ० संख्या यथोपरि। 10671-750

दिनांक: 29-7-2013

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सहायक (अध्यक्ष/सचिव)
2. समस्त उच्च अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक/प्रभारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड/समस्त पुस्तक विक्रय, हिमाचल प्रदेश।
3. सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, भण्डार को इस नियंत्रण सहित कि वे उक्त के सन्दर्भ में बोर्ड मुख्यालय के मुख्य गेट न०-। पर वांच्छित सूचना, सूचना पटट पर दर्ज करवाएं ताकि बोर्ड भूमि बाहर से आने वाले आगन्तुकों को मुख्य गेट पर ही समस्त जानकारी प्राप्त हो सके।
4. उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)।
5. रक्कक सचिवका।

*Rashmi*

सचिव